उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

२४।११।२४

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है कि स्टे निर्णय प्रकरण में लिया जाकर पत्रावली शामिल हुक्म सुनाया। पत्रावली पै नकल सुधार व तरमीम के अमल के पत्रावली जिला लेख्य भण्डार में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
183 / 2024	22.10.2024	28.11.2025

बउनवान

1. शिवराम पुत्र श्रीराम
2. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जातियान जाट निवासीयान सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1. दौलतराम
2. धीरसिंह पुत्रान श्री सूरताराम
3. आशा देवी
4. भगोती देवी पुत्रीयान सूरताराम
5. मायादेवी पत्नी सूरताराम जातियान जाट निवासीयान सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. जलेसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री रणवीर सिंह यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सीताराम चौधरी –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा हैं।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 1106 रकबा 0.10 हैक्0, वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि ख० न० 1106 का साबिक खसरा नम्बर सम्वत् 2029 में 1001 रहा एवं सम्वत 2029 से पर्व साबिक ख० नं० 783 रकबा 10 बिस्वा रहा है। सम्वत् 2072 में साबिक ख० नं० 1001 के दो खसरा नम्बर पैमूद किये

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल

1057/1001 से हाल ख० नं० 1107 रकबा 0.03 है० एवं 1058/1001 से हाल ख० न० 1106 बनाये ये है।

5. यह है कि प्रार्थीगण तरप्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो की संयुक्त हिन्दू परिवार के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। सजरा खानदान निम्न प्रकार रहा है।

हरकरण 1/2

शेर सिंह — श्रीराम

शेर सिंह: उदमी महेन्द्रसिंह संतरा लक्ष्मी

श्रीराम: शिवराम मंगल जलेसिंह

उदमी: सतीश सत्यवीर सतपाल

हरलाल पुत्र गोरधन 1/2 भाग

सूरताराम

दौलतराम धीरसिंह आशा भगोती मायादेवी

6. यह है कि सजरा के मुताबिक प्रार्थीगण, तरप्रतिवादी 1/2 भाग एवं अप्रार्थी सं० 1 ल0 5 के पूर्वज 1/2 भाग के खातेदार काबिज काश्तकार आराजी मुतनाजा पर काश्त करते रहे है।
7. यह है कि प्रार्थी सं० 1 व तरप्रतिवादी सं० 9 एवं अप्रार्थी सं० 6 का 1/4 भाग एवं प्रार्थी सं० 2 एवं तरप्रतिवादी सं० 10 व 11 का 3/4 भाग तरप्रतिवादी सं० 12 ल0 14 का 1/4 दर 1/4 भाग एवं अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 का 1/2 भाग कब्जे काश्त एवं खातेदारी का रहा है एवं इसी प्रकार पक्षकारान मौके पर अर्सा करीब सैकडो सालों से काबिज होकर बदस्तूर बेरोक टोक आराजी मुतनाजा पर काश्त करते आ रहे है प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी आज भी मौके पर आराजी के भौतिक कब्जे में है।
8. यह है कि आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिकोर्ड सम्वत 2000 की जमाबन्दी में "गोरधन हिस्सेदार" दर्ज है सम्वत् 2012 की जमाबन्दी में शेरसिंह "श्रीराम पुत्र हरकरण सम्भाग हिस्सेदारान" दर्ज है एवं सम्यत् 2016 की जमाबन्दी में "सूरता पुत्र हरलाल हिस्सेदार" दर्ज है लेकिन इसके बाद भूप्रबंध विभाग ने सम्वत् 2029 में हम प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादीगण के पूर्वजो के अनाधिकार खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बिना किसी न्यायालय श्रीमान की डिकी के एवं बिना किसी दस्तावेज के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रिकोर्ड में प्रभावहीन व शून्य प्रकृति के इन्द्राजात दर्ज करते हुये नाम हजफ कर दिये एवं तन्हा अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 5 के पिता सुरताराम का नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया था जो प्रार्थीगग्ण की जानकारी के अभाव में निरन्तर चलते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

9. यह है कि प्रार्थीगण व तरप्रतिवादी के पूर्वज काश्तकार व्यक्ति रहे है प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी के पूर्वज बिस्वेदार या बडे जमीदार नहीं थे ना ही व्यवसायिक आदमी रहे है प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी एवं उनके पूर्वजों का जीविका उपार्जन का श्रोत कृषि कार्य रहा है।
10. यह है कि आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिकोर्ड में 10 बिस्वा रही है जिसमें से 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं तरप्रतिवादी की एवं 5 बिस्वा रकबा अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 का रहा है। अप्रार्थी सं० 1 ल0 5 के पिता ने 0.03 है०, पूर्व में दीगर व्यक्ति को बेचान कर दिया जिसके हाल ख० नं0 1107 बने है एवं अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 ने ख० नं0 1106 में 0.05 है०, का बेचान अप्रार्थी सं० 6 को कर दिया अप्रार्थी सं० 1 ल0 5 ने व उनके पूर्वज ने हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया है ख० नं0 1106 रकबा 0.10 है०, में ख० नं0 1107 के रकबे को अप्रार्थी के हिस्से में जोडकर प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी को साढे 6 ऐयर रकबा खानदानी जायदाद के रूप में बनता है, ख० नं0 1107 को प्रार्थना पत्र में इसलिये सामिल नहीं किया गया कि दीगर व्यक्तियों से मुकदमाबाजी बढेगी एवं मुकदमें में पेचिदगी आयेगी समय जाया होगा ख० नं० हाल 1107 का रकबा अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 के पूर्वज द्वारा विक्रय किया है इसलिये उक्त रकबा 0.03 है०, अप्रार्थी सं० 1 ल05 के हिस्से से कम किया जावे एवं हाल ख० नं0 1106 में से अप्रार्थी सं० 1 ल0 5 व उनके पूर्वज का तीन ऐयर रकबा शेष था जबकि बेचान 0.05 है०, का अप्रार्थी सं0 6 को किया है। हम प्रार्थी एवं तरप्रतिवादी ख० नं0 1106 के 5 बिस्वा पर कदीमी काबिज चले आ रहे है आज भी काबिज है इसलिये अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 के पिता द्वारा कराया गया बैयनामा दिनांक 18/07/2006 को प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी के हिस्से तक नल एण्ड वाईड करार दिलाया जावे।
11. यह है कि आराजी मुतनाजा ख० नं0 1106 रकबा 0.10 हैक्० वाके ग्राम सरायकला तहसील मुण्डावर में से प्रार्थी सं० 1 व तरप्रतिवादी सं० 9 व अप्राथी सं० 6 को समभाग 1/4 दर 7/10 इसी प्रकार प्रार्थी सं0 2 व तरप्रतिवादी सं0 10, 11 व 12 ल0 14 को 1/4 दर 7/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस हद तक राजस्व रिकोर्ड से अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 के पिता का नाम, अप्रार्थी सं० 6 का नाम कलमजन किये जाने व प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
12. यह है कि आराजी मुतनाजा के अपने हिस्से पर प्रार्थीगण एवं तरप्रतिवादी अब तक शांतिपूर्ण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे कि दिनांक 03/10/2024 को अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 जेसीबी लेकर आराजी पर आये और आराजी में खडे हरे पेडो को उखाड़ने लगे तो प्रार्थीगण को जानकारी होने पर मौके पर गये तो अप्रार्थी सं० 1 ल० 6 एवं उनके साथ 7–8 आदमी अन्य मौके पर मिले जिन्हे पेड काटने से मना किया तो अप्रार्थी कह रहे थे की आराजी राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम है हम सालिम रकबे पर कब्जा करेगें अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 व अप्रार्थी सं० 6 साज बाज हो रहे है अप्रार्थी सं० 6 ने सन् 2006 में बैयनामा कराया तो भी हम प्रार्थीगण नहीं बताया कि आराजी सालिम अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 के पिता के नाम दर्ज हो रही है और अब भी अप्रार्थी सं० 6 शेष आराजी का बैयनामा बाला बाला अपने नाम कराने की जुस्तजू में है और आराजी पर अप्रार्थी सं० 1 ल० 5

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

का कब्जा कराने में उनका सहयोग कर रहा है जब प्रार्थीगण ने पेड उखाडने से मना किया तो समस्त अप्रार्थी व उनके साथ आये व्यक्ति प्रार्थीगण से मारपीट करने पर उतारू हो गये शौर सुनकर गांव के व्यक्ति आ गये जिससे मामला शांत कराया एवं मौके पर पुलिस आकर जेसीबी को रोक दिया यदि अप्रार्थी अपने नापाक मसूबो में कामयाब हो गये और आराजी मुतनाजा से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया और आराजी को विक्रय कर दिया तो दीगर मुकदमें बाजी बढेगी एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अजहद हानि होगी इसलिये अप्रार्थी को जरिये हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा को कहीं रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे प्रार्थीगण व तरप्रतिवादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे पेड ना काटे ना कोई निर्माण करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

13. यह है कि दिनांक 03/10/2024 को अप्रार्थी सं0 1 ल० 5 जेसीबी लेकर आराजी पर आये और आराजी में खडे हरे पेडो को उखाड़ने लगे तो प्रार्थीगण को जानकारी होने पर मौके पर गये तो अप्रार्थी सं० 1 ल० 6 एवं उनके साथ 7–8 आदमी अन्य मौके पर मिले जिन्हे पेड काटने से मना किया तो अप्रार्थी कह रहे थे की आराजी राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम है हम सालिम रकबे पर कब्जा करेगें बस यही बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र दायर किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो आराजी ख० नं० हाल 1156/1106 रकबा 0.05 है0, व 1157/1106 रकबा 0.05 हैक्०, वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, को अप्रार्थीगण कहीं रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे पेड ना काटे ना कोई निर्माण करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी स० 1 ल० 5 की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नहीं हैं प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है, जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है। काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
3. यह है कि पैरा स0 3 इतना स्वीकार है कि आराजी ख0न0 1106 रकबा 0. 10 है०, वाके ग्राम सराय कलां तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज० में स्थित रही है.। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है।
4. यह है कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है. नितान्त गलत है, स्वीकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

5. यह है कि पैरा स० 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णीत आराजी से प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों को कोई लेना देना नही रहा है तथा आराजी मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज गोरधन के कब्जेकाश्त की आराजी रही है तथा प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण के खानदान का सजरा आधा अधूरा पेश किया है, तथा मिन अप्रार्थीगण के खानदान का सजरा निम्न है–

गोरधन
|
हरलाल
|
सुस्ता
|

दौलतराम   धीरसिंह   आशा   भगौती   मायादेवी

6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में गलत हिस्सा दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि साबिक आराजी 783 सम्वत 2000 में मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज गोरधन के नाम दर्ज रही है, लेकिन डालब कर्मचारियों द्वारा सम्वत 2012 की जमाबन्दी पद्धि करते समय 2. खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज का नाम हजफ कर, प्रार्थी के पूर्वज शेरसिंह, श्रीराम पुत्रान हरकरण के नाम दर्ज कर दिया, तथा मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज गोरधन का नाम हजफ कर दिया तथा उसी दोरान मिन अप्रार्थीगण का पूर्वज गोरधन फौत हो गया तथा उसके बाद अप्रार्थीगण के दादा हरलाल भी फौत हो गया तथा लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2016 की जमाबन्दी पैमूद करते समय मिन मिन अप्रार्थीगण के पिता के नाम का अंकन दर्ज कर पूर्व के इन्द्राज को हजफ कर दिया तथा मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज आराजी पर सम्वत 2000 से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आराजी के राजस्व रिर्कोड में हम अप्रार्थीगण के पूवर्ज व वर्तमान में हम प्रतिवादीगण के नाम का अंकन दर्ज चला आ रहा है. लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सम्वत 2012 ल० 2015 की जमाबन्दी में वादी के पूर्वज के नाम का अंकन दर्ज कर दिया, जिसकी आड में प्रार्थी द्वारा उक्त दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से आराजी के 1/2 भाग पर काबिज काश्त नही है।

7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में गलत हिस्सा दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि साबिक आराजी 783 सम्वत 2000 में मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज गोरधन के नाम दर्ज रही है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सम्वत 2012 की जमाबन्दी पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन प्रतिवादी के पूर्वज का नाम हजफ कर, प्रार्थी के पूर्वज शेरसिंह, श्रीराम पुत्रान हरकरण के नाम दर्ज कर दिया, तथा उसी दोरान मिन अप्रार्थीगण का पूर्वज गोरधन फौत हो गया तथा उसके

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

बाद अप्रार्थीगण के दादा हरलाल भी फौत हो गया तथा लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2016 की जमाबन्दी पैमूद करते समय मिन मिन अप्रार्थीगण के पिता के नाम का अंकन दर्ज कर पूर्व के इन्द्राज को हजफ कर दिया तथा मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज आराजी पर सम्वत 2000 से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आराजी के राजस्व रिर्कोड में हम अप्रार्थीगण के पूवर्ज व वर्तमान में हम प्रतिवादी के नाम का अंकन दर्ज चला आ रहा है, लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सम्वत 2012 ल0 2015 की जमाबन्दी में वादी के पूर्वज के नाम का अंकन दर्ज कर दिया, जिसकी आड में प्रार्थी द्वारा उक्त दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से आराजी के 1/2 भाग पर काबिज काश्त नही है।

8. यह है कि पैरा स० 8 इस प्रकार स्वीकार है कि आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व रिर्कोड सम्वत 2000 की जमाबन्दी में गोरधन हिस्सेदार दर्ज है तथा सम्वत 2012 की जमाबन्दी में शेरसिंह, श्रीराम पुत्रान हरकण सम्भाग हिस्सेदारान दर्ज है, तथा सम्वत 2016 की जमाबन्दी में सूरता पुत्र हरलाला हिस्से दार दर्ज है,। बाकी पैस गलत है, स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानूनन वादी के पूर्वज शेरसिंह, श्रीराम पुत्रान हरकरण का नाम राजस्व रिर्कोड में दर्ज कर दिया, जबकी प्रार्थीगण का पूर्वज कभी भी आराजी पर काबिज काश्त नही रहा है तथा ना ही वर्तमान में काबिज काश्त है, तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैटलमेंट सम्वत 2029 में सही अंकन दर्ज किया है, आराजी से प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है तथा आराजी मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी की रही है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है तथा प्रार्थी स्वंय ने जिम्मन में दर्ज दोलतराम किया है कि सम्वत 2000 में प्रतिवादी के पूर्वज गोरधन के नाम दर्ज रही है जिससे साबित है कि आराजी से प्रार्थी व उसके पूर्वज का कोई लेना देना नहीं है।

9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी व तर० प्रतिवादी व उनके पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है. जिनका उक्त विवादित्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है तथा ना ही कभी आराजी पर काबिज काश्त रहे है तथा आराजी मात्र राजस्व रिर्कोड में 0.10 हैक्०, दर्ज है. जिसमें प्रार्थी द्वारा 1/2 भाग की रिलीफ चाही गयी है तथा प्रार्थी ने आजीविका यही आराजी से होना दर्ज किया है, जबकी मात्र 0.05 हैक्० में वादी कुछ पैदा नहीं कर सकता है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज कभी भी आराजी पर काबिज काश्त नहीं रहे है तथा ना ही आज मौके पर कब्जा है।

10. यह है कि पैरा स० 10 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी व उसके पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है तथा आराजी मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज की रही है तथा मिन अप्रार्थीगण का पूर्वज राजस्थान काश्तकार अधि० व बिश्वेदारी उन्मुलन अधि० के लागु होने के पूर्व से काबिज काश्त

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रहे है तथा वर्तमान में भी मिन अप्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा वादी ने जिम्मन हाजा में दर्ज किया है कि प्रतिवादी के पूर्वज ने उक्त आराजी में से रकबा 0.03 है०, का बेचान दिगर काश्तकार को कर दिया, जिसका ख० न० 1107 बना है तथा अप्रार्थी स० 1 ल० 5 ने उक्त ख०न० में से रकबा 0.05 है०, का बेचान कर दिया, जिससे साबित है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज कभी आराजी पर काबिज काश्त नही रहे है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा ख0न0 1107 के काश्तकार को दावा में अप्रार्थीगण की जद में पक्षकार बनाया है तथा ना ही ख०न० 1107 के बाबत कोई रिलीफ चाही गयी है तथा आराजी मात्र 0.10 है०, रही है, जिसमें प्रार्थी किसी भी प्रकार से अपने आपकों खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नही है तथा ना ही प्रार्थी किसी भी प्रकार से बैयनामा दिनांक 18/7/2006 को बातिल व बेअसर करार दिलाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

11. यह है कि पैरा स0 11 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति है, जो कभी भी आराजी पर काबिज काश्त नही रहे है इसलिए प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराकर, जिम्मन में वर्णीत हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नही है। वाद वादी काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
12. यह है कि पैरा स0 12 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी व तर० प्रतिवादी व उनके पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है तथा आराजी मिन प्रतिवादी व मिन प्रतिवादी के पूर्वजों की रही है तथा आराजी पर मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज काबिज काश्त रहे है तथा मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज आराजी द्वारा आराजी के कुछ रकबा का भी बेचान सन् रहे है तो हम 2006 में कर चुके है जिससे साबित है कि वादी आराजी से गैर ब्रीस्ता रहे प्रतिवादीग द्वारा पेडों को उखाडने व प्रार्थी द्वारा मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थी व आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज होने के कारण प्रार्थी को क्षति कारित नहीं होती है तथा ना ही अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।
13. यह है कि पैरा स० 13 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कथित दिनांक या अन्य किसी भी दिनांक को बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं होती है, क्योकि प्रार्थी व उनके पूर्वज आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति को कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत बिनायमुखास्मत पैदा नहीं होती है. वादी का बाद बेरून मियाद होकर काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थी पक्ष की ओर से (श्री रणवीर सिंह यादव, अधिवक्ता द्वारा)"
यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी/कब्जेकाश्त अधिकार की सुरक्षा तथा अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है।

1. प्रार्थीगण का कब्जा, काश्त तथा सैद्धांतिक हिस्से का अधिकार prima-facie सिद्ध

महोदय, आराजी खसरा नं. 1106 (0.10 है.) प्रार्थी, तरप्रतिवादी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वजों की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी आराजी है। सजरा खानदान, पूर्वजों का कब्जा, बंटवारा–अनुपात, तथा जमाबन्दियों का क्रम बताता है कि– सम्वत 2000 में गोरधन हिस्सेदार, सम्वत 2012 में शेरसिंह/श्रीराम हिस्सेदार, सम्वत 2016 में सूरता हिस्सेदार दर्ज है। यानी परिवार के दोनों भागों के नाम अब तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते रहे हैं। राजस्व रिकार्ड से नाम हट जाना कब्जे–काश्त को समाप्त नहीं करता, यह स्थापित कानून है।

2. सैटलमेंट 2029 के समय गलत पैमाइश व गलत हजफ प्रार्थी का मुख्य विवाद यही है कि– सैटलमेंट कर्मचारियों ने बिना डिक्री, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश, बिना सुनवाई, प्रार्थी व तरप्रतिवादी के हिस्से को हटा दिया और केवल अप्रार्थी के पिता का नाम बिना किसी आधार के चढ़ा दिया। यह कार्यवाही खिलाफ–मौका, खिलाफ–कानून तथा शून्य प्रकृति की है।

3. कब्जा प्रार्थीगण के पक्ष में – घटनाक्रम से सिद्ध
दिनांक 03.10.2024 को अप्रार्थीगण जेसीबी लेकर आराजी में पहुँचे, पेड़ उखाड़ने लगे, और यह कहते पकड़े गये कि "रिकॉर्ड में नाम हमारा है, हम पूरा सालिम रकबा ले लेंगे।" यदि प्रार्थी कब्जाधारी न होते, तो अप्रार्थी पेड़ उखाड़ने का प्रयास क्यों करते? यह घटना ही प्रार्थीगण के वास्तविक, भौतिक कब्जे का सबसे मजबूत सबूत है।

4. अप्रार्थी पक्ष के पूर्वज ने हिस्से से अधिक विक्रय कर दिया। रकबा 0.03 है0 खसरा 1107 दीगर को बेचा गया। रकबा 0.05 है0 खसरा 1106 में से अप्रार्थी 6 को जबकि अप्रार्थी का वास्तविक सैद्धांतिक हिस्सा 5 बिस्वा (0.05 है0) ही था।
अतः–अप्रार्थी ने हिस्से से अधिक भूमि बेची है, प्रार्थी व तरप्रतिवादी की पुश्तैनी हिस्सेदारी पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को अधिकार है कि अपने हिस्से की भूमि पर किए गए बेयाने को अपने हिस्से तक null & void घोषित करवाए।

5. अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों तत्व (तीन कसौटियाँ) प्रार्थी के पक्ष में
1. Prima facie case - पुश्तैनी कब्जा, सजरा, पुरानी जमाबन्दियाँ
2. Balance of convenience - कब्जा प्रार्थी का हैय बेदखली का खतरा
3. Irreparable loss - भूमि से बेदखली व विक्रय प्रार्थी के लिए अपूरणीय हानि

अतः धारा 212 के अंतर्गत यथास्थिति बनाये रखना व विक्रय/हस्तांतरण/निर्माण/पेड़ काटने पर रोक आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि– प्रार्थीगण के हिस्से के अनुसार कब्जेकाश्त अधिकार संरक्षित किए जाएँ, गलत राजस्व इन्द्राजों को prima-facie अप्रभावी माना जाए, और निकट खतरे को देखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए।

बहस अप्रार्थी पक्ष की ओर से (श्री सीताराम चौधरी, अधिवक्ता द्वारा)"
प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, कानूनविरुद्ध तथा काबिले–खारिज है।

1. प्रार्थी और उसके पूर्वज आराजी से "गैर–वास्ता व गैर–काबिज" प्रार्थी का कोई भी पुराना राजस्व रिकॉर्ड, नकल, पैमाइश, खसरा, खतौनी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जो यह सिद्ध करे कि प्रार्थी के पूर्वज कभी काबिज थे कभी हिस्सेदार थे या कभी इस आराजी से वास्ता रहा मात्र 2012–2015 की गलत जमाबंदी का हवाला देकर पुश्तैनी कब्जा सिद्ध नहीं किया जा सकता।

2. वास्तविक खातेदार–काबिज अप्रार्थी पक्ष के पूर्वज "गोरधन" रहे, सम्वत 2000 गोरधन हिस्सेदार, स. 2016 सूरता हिस्सेदार, सैटलमेंट 2029 अप्रार्थी के पूर्वज का सही अंकन यह निरंतरता स्पष्ट करती है कि अप्रार्थी के पूर्वज वास्तविक खातेदार–काबिज थे। स. 2012 की जमाबंदी में प्रार्थी के पूर्वज का नाम कर्मचारियों की गलती से चढ़ा, और वही आधार बनाकर आज दावा किया जा रहा है।

3. प्रार्थी ने जानबूझकर खसरा 1107 के काश्तकार को पार्टी नहीं बनाया। यदि बिक्री गलत थी और हिस्सा अधिक बेचा गया था, तो—खसरा 1107 के खरीदार को पार्टी बनाना अनिवार्य था। जब प्रार्थी ने उस भूमि पर कोई दावा/राहत नहीं मांगी, तो यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी का असली उद्देश्य केवल मौजूदा कब्जे में बाधा डालना है।

4. प्रार्थी आज भी गैर–काबिज है – मात्र 0.05 है. भूमि में खेती का दावा बनावटी प्रार्थी कह रहा है कि उसकी जीविका इसी से चलती है, जबकि उसकी मांगी हिस्सेदारी 0.05 है. है, जिसमें कृषि से जीवन–निर्वाह असंभव है। यह तथ्य ही साबित करता है कि प्रार्थी कभी काबिज नहीं रहा।

5. घटना दिनांक 03/10/2024 पूर्णतः मनगढंत न पुलिस रिपोर्ट, न पंचनामा, न गवाहों के बयान, न कोई फोटोग्राफी, कुछ भी पेश नहीं किया गया। इसलिए यह घटना केवल कृत्रिम विवाद खड़ा करने हेतु गढ़ी गई है।

6. धारा 212 का दुरुपयोग – कब्जाधारी को हटाने का प्रयास धारा 212 केवल वास्तविक कब्जे–कास्त वाले व्यक्ति के लिए है। जब प्रार्थी स्वयं गैर–काबिज है, तो वह न तो नाम कलमजन करा सकता है, न हिस्सेदारी घोषित करा सकता है, न किसी बेयाने को रद्द करवा सकता है।

7. अस्थायी निषेधाज्ञा की तीनों शर्तें प्रार्थी पूरा नहीं करता

1. Prima facie case - नहीं
2. Balance of convenience - वास्तविक कब्जाधारी अप्रार्थी है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. Irreparable loss – नहीं, क्योंकि प्रार्थी को आराजी से कोई वास्ता नहीं

अतः विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र पूर्णतः खारिज किया जाए, तथा प्रार्थी पर हर्जाना व खर्चा लगाया जाए।

विवेचनार्थ प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.10 हैक्टर, वाके ग्राम सरायकला, तह. मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान में अपने तथा तर–प्रतिवादी के पुश्तैनी हिस्से, कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकार घोषित कराने तथा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब से उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

प्रकरण के समस्त अभिलेख, पक्षकारान के कथन, विवादित जमाबन्दियों, सैटलमेंट दस्तावेजों तथा प्रस्तुत शपथपत्र/दस्तावेजात का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया।

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आधार का परीक्षण प्रार्थीगण का मुख्य आधार यह प्रस्तुत किया गया कि—
1. आराजी 1106 (0.10 है.) पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की है।
2. प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण 1/2 भाग के काबिज–काश्तकार रहे।
3. सम्वत 2000, 2012, 2016 की जमाबन्दियों में कभी उनके पूर्वजों का नाम दर्ज रहा।

4. सैटलमेंट 2029 के समय गलत तरीके से नाम हटाकर अप्रार्थी के पूर्वज (सूरता) का नाम दर्ज कर दिया गया।
5. अप्रार्थीगण द्वारा हिस्से से अधिक बेचान किया गया।
6. दिनांक 03.10.2024 को अप्रार्थी ने जेसीबी से पेड़ काटकर कब्जा छीनने का प्रयास किया। इन आधारों पर प्रार्थी ने स्वतन्त्र कब्जा व खातेदारी अधिकार होने का दावा किया है।

2. राजस्व रिकॉर्ड के क्रम का परीक्षण – प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं अभिलेख पर उपलब्ध नकल जमाबन्दियों से यह तथ्य स्पष्ट है कि– सम्वत् 2000 की जमाबन्दी में गोरधन हिस्सेदार दर्ज रहे, सम्वत् 2016 में सूरता पुत्र हरलाल हिस्सेदार दर्ज, सैटलमेंट सम्वत् 2029 (नवीन पैमाना) में भी अप्रार्थी पक्ष का नाम निरन्तर दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा जिन वर्ष 2012–2015 की जमाबन्दियों में शेरसिंहध्श्रीराम का नाम दर्ज होने का हवाला दिया गया है, अप्रार्थीगण ने यह साबित किया है कि–
उक्त जमाबंदी राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से दर्ज हुई, न तो प्रार्थी ने कभी रकबा कब्जे–काश्त का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न ही कोई अदालती डिक्री, और न ही कोई ऐसा दस्तावेज जिससे उनके खातेदारीध्कब्जे का अधिकार सिद्ध हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड की निरन्तरता अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थी द्वारा दावा किया गया पुश्तैनी कब्जा दस्तावेजी रूप से कतई प्रमाणित नहीं है।

3. प्रार्थी वास्तविक काबिज नहीं – कब्जे का कोई दस्तावेजी या मौखिक आधार नहीं प्रार्थी द्वारा न तो कोई मौके का पंचनामा, न फोटोग्राफ, न साक्षियों के बयान, न कृषि उत्पाद, खसरा गिरदावरी, न किसान क्रेडिट कार्ड, और न किसी वर्ष का वास्तविक भौतिक कब्जा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण ने निरन्तर काश्त, खातेदारी तथा भूमि के विक्रय आदि के आधार पर स्पष्ट किया कि वे पूर्व से काबिज–काश्त रहे हैं।

प्रार्थी पक्ष का कथन कि जीविका इसी 0.05 है. भूमि से चलती है, न केवल अविश्वसनीय है बल्कि यह बताता है कि प्रार्थी ने जबरन भूमिधिकार सिद्ध करने का प्रयास किया है, क्योंकि इतनी अल्प भूमि में स्थायी कृषि व्यवस्थित सम्भव नहीं।

4. बेचान (बैयनामा) के संबंध में प्रार्थीगण की आपत्ति टिकाऊ नहीं
प्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थीगण के पूर्वज ने हिस्से से अधिक भूमि बेच दी। किन्तु प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि उसका वास्तविक हिस्सा क्या था, और न यह कि वह स्वयं वास्तविक हिस्सेदार था। साथ ही खसरा 1107 (0.03 है.) के खरीदार को पक्षकार नहीं बनाया गया, न उस बेयाने को चुनौती दी गई, न कोई राहत उस भूमि पर मांगी गई।

अतः हिस्से से अधिक बेचान का आधार अपूर्ण, पक्षकारहीन एवं अधूरा है, जिससे प्रार्थना पत्र संदेहपूर्ण बन जाता है।

5. घटना दिनांक 03.10.2024 अविश्वसनीय
प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी जेसीबी लेकर आए, पेड़ उखाड़ने लगे, परंतुः न FIR, न रिपोर्ट, न गवाह, न कोई लिखित शिकायत, न कोई पंचनामा अभिलेख पर है।

इस प्रकार कथित घटना प्रार्थी की स्व–रचित कहानी प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य केवल विवाद खड़ा करना है।
अतः इससे प्रार्थी के कब्जे या अधिकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
6. धारा 212 की वैधानिक कसौटियाँ प्रार्थी पूरा नहीं करता धारा 212 का सहारा केवल वह व्यक्ति ले सकता है जो–
1. वास्तविक कब्जाधारी हो,
2. अपना कब्जा छीनने का वास्तविक खतरा हो,
3. तथा राजस्व रिकॉर्ड में उसका कुछ आधार हो।

प्रार्थी तीनों कसौटियाँ पूरी नहीं करता–
(i) Prima facie Case – नहीं राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा / हिस्सा सिद्ध नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(ii) Balance of Convenience - नहीं वास्तविक काबिज अप्रार्थीगण हैं, न कि प्रार्थी।

(iii) Irreparable Loss - नहीं प्रार्थी का आराजी से कोई वास्ता/कब्जा नहीं, अतः हानि का प्रश्न ही नहीं।

इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की कोई कानूनी परिस्थिति नहीं बनती।

7. दावा तथ्यहीन, आधारहीन, दस्तावेजहीन काबिले–खारिज
प्रार्थी इस प्रकरण में न कब्जा सिद्ध कर पाया, न हिस्सेदारी, न पुश्तैनी अधिकार, न बेयाने का गलत होना, न मौके का निर्माण, न अस्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यक शर्तें।
अतः प्रार्थना पत्र कानून व तथ्यों दोनों स्तरों पर टिकाऊ नहीं है।

निष्कर्ष
उपरोक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों व तर्कों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि– प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से आराजी खसरा नं. 1106 पर कब्जेकाश्त / खातेदारी / साझेदारी का अधिकार सिद्ध करने में असफल रहे हैं। प्रार्थी घटना, सजरा, हिस्सेदारी, रिकॉर्ड त्रुटि, कब्जा—किसी भी आधार को प्रमाणित नहीं कर पाए।

अतः प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया आधारहीन, अविश्वसनीय व काबिले–खारिज पाया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। खसरा नम्बर 1156/1106/0.05, 1157/1106/0.05 वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)